

प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/62144/FGH/FATEHGARH/226/CFO

दिनांक: 21-09-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स Dr. B.P. AGRAWAL SHIKSHA NIKETAN (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता
233,240,242,246,247,248,KANPUR ROAD NEAR RAILWAY STATION YAQUTGANJ,FARRUKHABAD तहसील

- SADAR, प्लाट एरिया 9712 sq.mt , कुल कवर्ड एरिया 1999.89 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें


ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
DBPASN	3	0	12.63 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स Dr. B.P. AGRAWAL SHIKSHA NIKETAN द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 23-09-2022 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री BHAGWAN PRAKASH AGRAWAL drbpagrawal751@gmail.com 9415491969 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 23-09-2022 से 22-09-2025 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स Dr. B.P. AGRAWAL SHIKSHA NIKETAN अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स Dr. B.P. AGRAWAL SHIKSHA NIKETAN अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : 1- भवन में एग्जिट साइनेज स्थापित नहीं है जिसको एक माह के अंदर भवन में स्थापित कराए जाने की जिम्मेदारी आवेदक /भवन स्वामी की होगी। 2- सेटबैक के सम्बंध में शासनादेश संख्या:18/छ:-पु0-8-2022/905(34)2016टी0सी0दिनांक:07/01/2022के अनुसार निर्णय लिया जाना सत्ता प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित है। 3- All Fire Fighting must be in working condition as per G.O. and a trained fire safety supervisor should be assigned these duties. 4- उपरोक्तानुसार अग्निशमन व्यवस्था सदैव कार्यशील रखे जाने की शर्त पर आख्या संस्तुति सहित सेवा में प्रेषित है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 23-09-2022
स्थान : FATEHGARH


PRINCIPAL
Dr. B.P. Agrawal Shiksha Niketan
Kalyan Kunj, Fatehgarh-Farrukhabad


MANAGER
Dr. B.P. Agrawal Shiksha Niketan
Kalyan Kunj, Fatehgarh-Farrukhabad

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(VIJAYPRAKAS TRIPATHI)

[F905AFE8368E4F519A2BF56225625AAC4B894500]

23-09-2022